राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
Website www.uniraj.ac.in, Email.acad.2uor@gmail.com

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय / 2026 / 2316 दिनांकः 30 / 03 / 2026

प्रबन्धक,
सोलूशन अवेयर इन्फोटीच प्रा.लि.
16B, 781 द्वितीय मंजिल, हरिहन्त प्लाजा,
दादाबाडी, कोटा, राजस्थान–324009
Email:solutionaverinfotech@gmail.com

विषयः–सत्र 2025–26 व 2026–27 में शिक्षा के पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता अभिवृद्धि में निरीक्षण शुल्क का ऑनलाइन पोर्टल खोलने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि पूर्व में विश्वविद्यालय के द्वारा जारी पत्र क्रमांक शैक्षणिक द्वितीय / 2025 / 3224 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर SBCWP No. 3226/2025 में आदेश दिनांक 04 / 03 / 2025 के अनुसार सत्र 2025–26 से शिक्षा सकाय के पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता अभिवृद्धि में निरीक्षण शुल्क / पुनः निरीक्षण शुल्क लेने से मना किया गया था।

S.B. Civil Writ Petition No. 3226/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान ने आदेश दिनांक 19.02.2026 को न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 4.03.2025 को रद्द कर दिया गया है।

सत्र 2025–26 व 2026–27 में राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों से शिक्षा पाठ्यक्रम यथा–B.Ed/Spl. B.Ed (ID/HI)/B.Ed-M.Ed/M.Ed/B.P.Ed/B.A.-B.Ed/B.Sc-B.Ed/PG DIPLOMA IN REHABILITATION PSYCHOLOGY (PGDRP) की सम्बद्धता अभिवृद्धि के आवेदन पत्रों के निरीक्षण शुल्क निम्नानुसार जमा किये जाने की अंतिम दिनांक 31 / 03 / 2026 से बढाये जाकर पोर्टल दिनांक 07 / 04 / 2026 तक खोले जाने हेतु आपकों निर्देशित किया जाता है।

S.No.	Session	Inspection Fee	18% GST	Total
1.	2025-26	14,640/-	2,635/-	17,275/-
2.	2026-27	16,100/-	2,898/-	18,998/-

अतः आपसे अनुरोध है कि अविलम्ब उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—Sd—

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक–2)

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय / 2026 / 2317 – 20 दिनांकः 30 / 03 / 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्राचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों को भेजकर आग्रह है कि दिनांक 07 / 04 / 2026 तक आवश्यक रूप से शेष निरीक्षण शुल्क जमा करावें।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरू महोदया / कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

अनुभागाधिकारी, (शैक्षणिक–2)